राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम

मिनि स्वास्थ्य भवन, सेठी कॉलोनी, जयपुर (दूरभाष नं. 0141–2605858)

कमांक : सामान्य/एफ–505/2018/ 869

दिनांक : 8/03/2018

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

विषय :– दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 17.01.2017 को छपी खबर प्रसूता ने लगाया संस्थागत प्रसव में अवैद्य वसूली का आरोप की जॉच रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

संदर्भ :– आपका पत्रांक सीबी/एनएस/मिस–1338/2018/300 दिनांक 12.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जांच रिपोर्ट के सम्बंध में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जमवारामगढ जयपुर द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि की गई शिकायत असत्य व निराधार है। प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं बयानों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– आठ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर प्रथम

कमांक : सामान्य/एफ–505/2018/

प्रतिलिपि :–

दिनांक : /03/2018

1. निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर प्रथम

Scanned by CamScanner

कार्यालय : – खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवारामगढ़, जयपुर

क्रमांक – 184 दिनांक – 6-3-18

श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर प्रथम।

विषयः– दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 17.01.2017 को छपी खबर प्रसूती ने लगाया संस्थागत प्रसव में अवैद्य वसूली का आरोप की जांच करने बाबत्।

संदर्भः– आपके पत्रांक सामान्य/एफ–505/2018/671 दिनांक 16.02.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 05.03.2018 को सा0स्वा0केन्द्र जमवारामगढ में उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के समय कार्यरत स्टाफ से कलमबद्ध बयान लिये, तत्पश्चात् चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ राजेन्द्र शर्मा के भी लिखित में बयान प्राप्त किये (प्रति संलग्न)। उक्त बयानों से यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण निराधार है, पूर्व में भी उक्त प्रकरण की जांच में दिनांक 14.01.2017 को प्रसव वार्ड भर्ती प्रसुताओं के लिखित में जो बयान लिये थे उसमें भी किसी भी प्रसुता एवं प्रसुताओं के परिजनों ने नर्सिंग स्टॉफ द्वारा प्रसव कराने व उसकी देखभाल के बदले में किसी प्रकार शुल्क लेने हेतू मना किया था (पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक 987 दिनांक 18.01.2017, 42 दिनांक 19.01.2017, 107 दिनांक 06.03.2017, 418 दिनांक 16.06.2017 द्वारा अवगत करवाया जा चुका है), जिसके प्रमाण के तौर पर जेएसवाईवार्ड में भर्ती प्रसुताओ (श्रीमती कविता पत्नी श्री विष्णु जागा ग्राम पालेडा, जमवारामगढ, श्रीमती राजन्ती पत्नी श्री कालू माली ग्राम सैंथल, जिला दौसा, श्रीमती पतासी पत्नी श्री सीताराम गुर्जर ग्राम चैनपुरा,रायसर, श्रीमती कानी देवी पत्नी श्री जानकीलाल मीणा ग्राम भट्टकाबास केराला की ढाणी रायसर) के कलमबद्ध बयान लिये थे, के बयानों प्रति संलग्न है। उक्त संदर्भ में निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रधान जमवारामगढ से दूरभाष पर प्रकरण वास्ते की गई शिकायत के बारे में पूछा तो उन्होने अपने लिखित बयान देने से मना कर दिया और कहा कि ''मैंनें तो जन प्रतिनिधी होने के नाते शिकायतकर्ता के पक्ष को सुनते हुए उच्चाधिकारीयों को अवगत करवाया है''। अतः उक्त जांच आवश्यक कार्यवाही हेतू आपके समक्ष प्रेषित है।

संलग्नः–

1. सा0स्वा0केन्द्र जमवारामगढ के जेएसवाई वार्ड में कार्यरत नर्सिंग स्टॉफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के बयानों की मूल प्रति।
2. डॉ रेणुका शर्मा चिकित्सा अधिकारी के बयानों की मूल प्रति।
3. डॉ राजेन्द्र शर्मा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के बयानों की मूल प्रति।
4. प्रसुताओं के बयानों की छायाप्रति।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

क्रमांक – दिनांक –

प्रतिलिपि :–सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सा0स्वा0केन्द्र जमवारामगढ।
3. रक्षित पत्रावली।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

Scanned by CamScanner

[illegible] 5-3-18

श्रीमान खण्ड चिकित्सा अधिकारी
खण्ड जमवारामगढ़, जयपुर

विषय:- बयान प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि श्रीमति अनिता W/O श्री मूलचन्द महावर निवासी साखपुर के प्रसव के पैसे वसूलने के सम्बन्ध में श्रीमान प्रधान महोदय पं.समिति जमवारामगढ़ के कहकार संस्था में आने को श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरे संस्था में उस दिन हुये ~~प्रसूती~~ प्रसव जो कि JSY वार्ड में भर्ती थी उनके बयान लिये जिनमें उन्होंने प्रसव के बदले कोई राशि वसूलने से इनकार किया है। तथा उस दिन कार्य पर उपस्थित नर्सिंग स्टाफ, स्वीपर के भी बयान लिये गये जिसमें कोई राशि वसूलने की बात सामने नहीं आयी है।

अतः उक्त शिकायत मिथ्या है इसे सहानुभूति पूर्वक विचार कर निरस्त करवाने का श्रम करें।

[signature]

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

[illegible] 28-2-18

श्रीमान खण्ड मु. चि. अधिकारी
जमुवारामगढ

विषय → बयान प्रस्तुत करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि श्रीमती अनिता पत्नी मूलचन्द महावर दि. 14/09/17 को सुबह 5.30 a.m बजे संस्थान मे प्रसव वास्ते आये। मैने श्रीमती अनिता की जाँच की एव Case जटिल एव Prime होने के कारण इसको जयपुर ले जाने के लिए कहा लेकिन श्री मूलचन्द महावर प्रसव इसी संस्था मे करने के लिए अड गया! मैने प्रसुता की स्थिति काफी खराब होने के कारण Case के बारे मे इसको काफी समझाया लेकिन इसने जिद करली की, मे डिलवरी यही कराऊगा, व काफी बहसबाजी व शोर शराबा करने लगा, इसके पश्चात मैने श्री मूलचन्द महावर की लिखित मे सहमति के पश्चात प्रसव कराया तथा श्री मूलचन्द महावर प्रा० 7.30 बजे छुट्टी के लिए जिद करने लगा मैने राज्यसरकार के नियमानुसार 72 घण्टे के पश्चात छुट्टी देने हेतु कहा तो फिर से उसने काफी शोरशराबा करने लगा और कहने लगा कि मे आपलोगो कि शिकायत प्रधानजी से करुगा। एव उसने दि० 15/9/17 को प्रधानजी एव पत्रकारो को चिकित्सालय मे बुलाकर काफी शोर शराबा कराया श्री मूलचन्द महावर से किसी भी स्टाफ ने प्रसव के बदले कोई पैसा नही लिया। श्री मूलचन्द महावर ने उक्त आरोप झूठे लगाये है।

रेणुका शर्मा
चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
जमुवारामगढ़

सुवानमें ... /3/18

श्रीमान चिकित्सा अधिकारी
खण्ड जमुवारामगढ़

विषय —: बयान प्रस्तुत करने बाबत्

महोदय

उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि श्रीमती अनिता पत्नि मूलचंद महावर निवासी सायपुर दि: 14/3/17 को सुबह 5.30 बजे चिकित्सालय में प्रसव हेतु आये, मैने प्रसुता को ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक को दिखाने हेतु कहा प्रसुता को चिकित्सा अधिकारी डा. रेणुका शर्मा एवं मैने देखा और बताया कि प्रसुता का केस काफी जटिल है जिसके कारण प्रसुता को जयपुर ले जाने हेतु कहा लेकिन श्री मूलचंद महावर प्रसव CHC जमुवारामगढ़ मे ही कराने हेतु अड गया। मैने श्री मूलचंद महावर को काफी समझाया कि प्रसुता के पहला प्रसव है एवं प्रसुता की स्थिति सही नही है अत: आप इसको जयपुर ले जाये लेकिन मूलचंद महावर मुझे staff मे कई लोगो से फोन कराकर प्रसव यही कराने हेतु दबाव डलवाने लगा मैने पुन: एक बार प्रसव की जटिलताओ से अवगत करा दिया जिससे मूलचंद महावार काफी भडक गया तथा कहने लगा कि सरकार ने इतना बडा अस्पताल किस वास्ते खोल रखा है। उसके बाद मैने चिकित्सक की सहमती से श्री मूल चंद महावर से यहाँ डिलिवरी कराने का सहमति पत्र पर साइन करवा लिया। प्रात: 6.25 बजे प्रसुता के लडकी हुई श्री मूलचंद महावर सुबह 7.50 am

Scanned by CamScanner

प्रसुता की छुट्टी करने हेतु कहने लगा। मैंने सरकार के नियमानुसार 72 घंटे बाद छुट्टी देने हेतु कहा तो ये कहने लगा कि मेरे पिताजी भी मेडिकल डिपार्टमेन्ट मे रहे हैं आप मुझे नियमों का हवाला मत दो।

तथा मुझे ये धमकी देने लगा कि मै आपकी शिकायत प्रधान जी को करूँगा। प्रधान जमवारामगढ़ ने दि. 16/01/17 को पत्रकार एवं अन्य लोगो को बुलाकर इसकी जाँच करवाई जिसमें किसी भी प्रसुता ने या उसके परिजनो ने प्रसव मे किसी परेशानी या वसुली का कोई आरोप नहीं लगाया। यह तो केवल श्री भूलचंद महावर ने मुझ पर गलत आरोप लगाया। यदि उक्त आरोप सही है तो उसके साक्ष्य श्री भूलचंद महावर से मांगे जाये।

प्रार्थिया
(मंजूलता डोगरा)
नर्स-2
C.H.C ज. रामगढ

Scanned by CamScanner

Accordingly

श्रीमान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जमवारामगढ़ जयपुर

विषय !— बयान प्रस्तुत करने बाबत

महोदय !— उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि दिनांक 14.1.2017 को मैं प्रात: 8:00 बजे अपनी ड्यूटी पर आई। मूलचन्द महावर निवासी साहपुर जिसकी पत्नी अनिता महावर का प्रसव प्रात: 6:25 बजे दिनांक 14.1.17 को हुआ था मूलचन्द अनिता की छुट्टी देने के लिए कहने लगा मैंने उससे कहा कि लिखकर साइन कर दो कि हम अनिता के लिए JSY का कोई लाभ नहीं चाहिए तो आप जा सकते है। और वह क्रोधित होकर धमकी देकर चला गया है। कहने लगा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा।

प्रार्थीया
रिहाना
N-2
CHC जमवारामगढ़

मोहन लाल
स्वीपर

(ओमेन्द्र)
ओमेन्द्र कुमार मीणा
W/B CHC जमवारामगढ़

Scanned by CamScanner

[illegible]

श्री मान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
खण्ड जामवारामगढ़,

विषय - बयान प्रस्तुत करने बाबत

महोदय, -

उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि श्रीमती अनिता w/o मूलचन्द महावर महावर निवासी रायपुर दि: 14/1/017 को सुबह 5:30 बजे चिकित्सालय में आये, तथा अनिता को प्रसव प्रात: 6:25 बजे हुआ मैं अपनी ड्यूटी पर दिनांक 14/1/018 2:00 बजे आई एवं प्रसूता का पति (मूलचन्द महावर) मेरे पास आये तथा मुझे प्रसूता को छुट्टी देने के लिए कहने लगा तो मैंने सरकार के नियमानुसार 72 घण्टे बाद छुट्टी देने हेतु कहा तो ये कहने लगा कि मेरे पिताजी की मेडिकल डिपार्टमेन्ट में रहे हैं, आप मुझे नियमों का हवाला मत दो।
तथा मुझे ये धमकी देने लगा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा ये कह के चला गया।

प्रार्थिया
[illegible]
नर्स - 2
CHC जमवारामगढ़

[illegible]

सेवा में, ~~श्रीमान~~ ~~खण्ड~~ ~~चिकित्सा~~ खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
~~सामु॰ स्वा॰ केन्द्र~~ जमवारामगढ़

विषय - बयान प्रस्तुत करने बाबत्

महोदय
उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि मरीज का पति मूलचन्द महावर निवासी सायपुरा प्रसूता (मरीज) को लाया तब से ही स्टाफ से बहस बाजी कर रहा था मैंने उसे समझाया कि तेरे मरीज की डिलवरी में काफी परेशानी आई है. इसको इतनी जल्दी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए ऐसा कहते ही मुझसे कहने लगा मैं भी स्टाफ का आदमी हूँ और मुझे धमकी देने लगा ज्यादा नियम मुझे मत बताओ नहीं तो तुम सब को देख लूँगा और तुम्हारी सबकी शिकायत करूँगा और फिर प्रसूता से कहने लगा कि तु आजाना भी और फिर वहा से चला गया।

पप्पू हरिजन
स्वीपर

Scanned by CamScanner

५८

ग्राम [illegible] जिला रामगढ़

C.H.C. जिला रामगढ़ में प्रसव अस्पताल किया भी कर्मचारी ने कोई पैसा नहीं लिया

[illegible]

श्रीमती [illegible] w/o [illegible]

[illegible]

C.H.C. जिला रामगढ़ में प्रसव के दौरान किसी भी कर्मचारी ने कोई पैसा नहीं लिया

[illegible]

श्रीमती [illegible] w/o श्री [illegible]

ग्राम [illegible] रामगढ़

किसी भी कर्मचारी ने प्रसव में कोई शुल्क नहीं लिया [illegible]

श्रीमती [illegible] w/o [illegible]

[illegible] रामगढ़

प्रसव के लिए भी कर्मचारी ने कोई पैसा नहीं लिया [illegible]